न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 12/2018

बउनवान

1– श्यामसुन्दर आयु 60 वर्ष आत्मज श्री केदारलाल राठौर
2– परमानंद आयु 57 वर्ष आत्मज श्री केदारलाल राठौर
3– कन्हैयालाल आत्मज श्री केदारलाल राठौर
4– बनवारी आत्मज श्री केदारलाल राठौर
5– कृष्णाकुमारी आत्मजा श्री केदारलाल जाति–राठौर
6– सरोज आत्मजा श्री केदारलाल जाति–राठौर
7– नट्टीबाई पत्नी स्व. श्री केदारलाल जाति–राठौर निवासीगण– छबडा तहसील–छबडा जिला–बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– मोहम्मद इश्हाक आत्मज अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
2– अब्दुल हवाब आत्मज अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
3– अब्दुल अजीज आत्मज अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
4– अब्दुल हमीद आत्मज अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
5– अब्दुल खुरर्शीद आत्मज अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
6– फमिदा आत्मजा अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
7– वहीदा आत्मजा अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
8– फरीदा आत्मजा अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
9– बैबी आत्मजा अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
10–नूरजहॉ आत्मजा अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ
11–हमीदा पत्नी स्व. अब्दुल रजाक उर्फ बाबू खॉ निवासीगण–खाकरां छबडा तहसील–छबडा जिला–बारां
12 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रार्थनापत्र धारा, 235 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**
2. श्री बृजराज सिंह हाडा, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

निर्णय दिनांक – 09.05.2019

1– प्रार्थीगण ने वाद स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन वाद धारा, 88, 89,188 व 91 आरटीए बउनवान श्यामसुन्दर वगै. बनाम मोहम्मद इश्हाक वगै. पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद की विवादित आराजी ग्राम खांखरा तह. छबडा में अवस्थित है। पक्षकारान् वादी–प्रतिवादीगण भी ग्राम छबडा व खांखरा के निवासी है। पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,छबडा से न्याय की आशा नहीं होने के कारण, वाद अन्तरण प्रार्थनापत्र को तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अटरू को अन्तरित किया गया था। इसलिये प्रकरण में सुनवायी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में चल रहीं है। पक्षकारान् वादी–प्रतिवादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा न्याय क्षेत्र के निवासी है जिनको अटरू आने–जाने में काफी परेशानी होती है तथा अकारण केस काफी लम्बा हो चुका है। पूर्व के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,छबडा का ट्रान्सफर हो चुका है। अतः न्यायहित में पक्षकारान् के वाद को सुनवायी हेतु प्रोपर कोर्ट उपखण्ड अधिकारी,छबडा को अन्तरित फरमाया जावे।

2– इस पर प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी,अटरू से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तदुपरान्त प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– बहस को सुनने के उपरान्त अभिभाषक प्रार्थीगण का मुख्य तर्क है कि उक्त वाद उपखण्ड क्षेत्र छबडा का है तथा वादीगण–प्रतिवादीगण दोनो ग्राम छबडा व खांखरा तहसील–छबडा में निवास करते है। प्रार्थीगण को अटरू आने–जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रकरण को पूर्व में उपखण्ड अधिकारी,छबडा की कार्यप्रणाली पर आपत्ति होने से उक्त वाद उपखण्ड छबडा से उपखण्ड अटरू को स्थानान्तरित किया गया था। चूकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः न्यायहित में उक्त वाद को मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को स्थानान्तरित किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थीगण को अपने समर्थन में मुख्य तर्क रहा है कि उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी, छबडा से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर विधिवत सुनवाई की जा रहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वाद को अकारण लम्बा करने की गरज से प्रकरण के निस्तारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो उपखण्ड क्षेत्र में अपना राजनैतिक प्रभाव रखते है। यदि वाद को पुनः उपखण्ड अधिकारी,छबडा को अन्तरित किया गया तो प्रार्थीगण अपने प्रभाव से पुनः न्याय को प्रभावित कर सकते है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

4– हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि उक्त जेरकार प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,छबडा से वाद स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पेश होने पर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अटरू को अन्तरित किया गया था। प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा दिनांक 20.07.2017 को वादीगण उपस्थित नहीं होने के कारण वाद को अदम हाजरी पैरवी में खारिज किया गया था। जिसको उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा अप्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 व 151 सीपीसी पेश होने पर दिनांक को पुनः नम्बर पर किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विधिवत सुनवाई नहीं हो सकी है। चूकि यह स्पष्ट है कि दोनो पक्षकारान् छबडा एवं खांखरा ग्राम के निवासी है जिसका मूल क्षेत्र उपखण्ड छबडा है। प्रकरण में जिन पीठासीन अधिकारी की न्याय एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्य प्रणाली पर आक्षेप जाहिर किया था उनका स्थानान्तरण हो चुका है। प्रकरण में पक्षकारान् को आने–जाने में कोई परेशानी नहीं हो तथा न्याय बाधित नहीं हो इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में जैरकार वाद को पुनः मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को अन्तरित किया जाना उचित समझते है।

5— अतः प्रार्थीगण का वाद स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू प्रकरण संख्या 20/2018 बउनवान श्यामसुन्दर वगै. बनाम मोहम्मद इश्हाक वगै. को सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, छबडा को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में 03.06.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा में सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। उपखण्ड अधिकारी, अटरू को आदेशित किया जाता है कि मूल पत्रावली नियत तिथि से पूर्व संबंधित न्यायालय में भिजवावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पार्थागण निम्नांकित निवेदन करते है।